

# कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बिजनौर

पत्रांक: प-1/सी0एफ0ओ0/बी0जे0आर0-2016  
सेवा में,

दिनांक: फरवरी 02, 2016

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)  
बिजनौर ।

विषय: मैसर्स इसार आर्यल लि0, नौरुडा को कस्बा नूरपुर थाना नूरपुर, तहसील चॉदपुर, जनपद बिजनौर के गाटा न0 205/1 पेट्रोल/डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) लगाने हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक: 1302 (4)/बीस आयुध सहायक दिनांक 19-01-2016 के अनुपालन में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक/रान्दर्भित पत्र के अनुपालन एवं मैसर्स इसार आर्यल लि0, नौरुडा को कस्बा नूरपुर थाना नूरपुर, तहसील चॉदपुर के कम में प्रस्तावित स्थल के मानचित्र के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी बिजनौर जनपद बिजनौर द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराया गया । श्री संजय शर्मा अग्निशमन अधिकारी बिजनौर जनपद बिजनौर की निरीक्षण आख्या दिनांक 01-02-2016 के अनुसार प्रस्तावित स्थल नूरपुर से धामपुर रोड पर स्थित है जहाँ तक फायर सर्विस के वाहन आसानी से आ जा सकते हैं। सम्बन्धित को निर्देशित किया कि -

- 1- रामस्त निर्माण अनुमोदित मानचित्र के अनुसार एवं नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के उपबन्धों के अधीन कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- धुम्रपान निषेध का पालन करेंगे तथा इस आशय की पट्टिकाएँ जगह-जगह लगाना सुनिश्चित करेंगे।
- 3- समस्त विद्युत वायरिंग एवं फिटिंग्स भारतीय मानक 2148 के अनुसार फ्लेमप्रूफ कराना सुनिश्चित करेंगे एवं फ्लेमप्रूफ लाइटों का ही प्रयोग करेंगे।
- 4- समस्त दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले लगवाना सुनिश्चित करेंगे।
- 5- अण्डर ग्राउण्ड डीजल/पेट्रोल स्टोरेज टैंक की अर्थिंग मानक के अनुरूप कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 6- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर महत्वपूर्ण/आपातकालीन सेवा नम्बर एक बोर्ड पर अंकित कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 7- रिटेल आउटलेट प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तावित स्थल पर निम्न अग्निशमक व्यवस्था का प्रबन्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
  - 1-ए0बी0सी0 टार्प फायर एक्स्टिंग्यूशर क्षमता 10 के0जी0 - 10 अदद ।
  - 2-सैड फायर बकेट्स ----- 10 अदद ।
  - 3-फोम ट्राली क्षमता 45 के0जी0-- 01 अदद ।
  - 4-बालू 100 घनफिट का अतिरिक्त भण्डारण ।
  - 5-धुम्रपान निषेध का बोर्ड ।
  - 6-फायर सर्विस के नम्बर 101, 265443 व 9454418553 का बोर्ड उपलब्ध है ।
- 8- उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का प्रति वर्ष अग्निशमन विभाग से सत्यापन कराकर इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे।
- 9- प्रस्तावित स्थल के आगे से निकली विद्युत लाईन पर फिटिंग्स लगवाये तथा विद्युत लाईन की इन्सुलेशन पोल लगवाकर गार्डिंग कराना सुनिश्चित करेंगे ।
- 10- प्रस्तावित स्थल के आगे खड़े पेड़ों को वनविभाग से अनुमति लेकर कटवाना सुनिश्चित करेंगे ।

- 11- प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त रिटेल आउटलेट प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अग्निशमन व्यवस्था का सत्यापन अग्निशमन विभाग से कराना सुनिश्चित करेंगे । तभी अनुमोदन अन्तिम माना जायेगा उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने पर निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा ।

अतः उपरोक्त अनुबन्धो/व्यवस्थाओ को पूर्ण कराने की शर्त पर मैसर्स इसार आर्यल लि०, नौरूडा को कस्बा नूरपुर थाना नूरपुर, तहसील चॉदपुर, जनपद बिजनौर के गाटा न० 205/1 में पेट्रोल/डीजल पम्प ( रिटेल आउटलेट ) लगाये जाने पर अग्निशमन विभाग को आपत्ति नहीं है ।

संलग्न: अनुमोदित मानचित्र

( सन्तोष कुमार राय )  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
बिजनौर

प्रतिलिपि: पुलिस अधीक्षक बिजनौर महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

- 2- मैसर्स इसार आर्यल लि०, नौरूडा को कस्बा नूरपुर थाना नूरपुर, तहसील चॉदपुर जनपद बिजनौर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आक्समिक निरीक्षण के दौरान कोई भी अनियमता पायी जाती है तो आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी ।
- 3- अग्निशमन अधिकारी बिजनौर जनपद बिजनौर, को उनकी आँख्या दिनांक 01-02-2016 के कम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित की पत्रावली खोलकर उस को सुरक्षित रखेंगे तथा समय-समय पर आक्समिक निरीक्षण करके यथा स्थिति का आकलन करते रहेंगे आक्समिक निरीक्षण में यदि किसी प्रकार की अयनिमिता मिलती है तो सम्बन्धित के नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करके यथा स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेगे

( सन्तोष कुमार राय )  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
बिजनौर